

:-अल्पकालीन ई-निविदा आमन्त्रण सूचना:-

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न कार्यों हेतु प्राधिकरण में उपयुक्त श्रेणी के पंजीकृत/अपंजीकृत एजेन्सियों से सपटित नियम व शर्तों के अधीन ई-निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर राशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	ई-निविदा डाउनलोड /अपलोड करने की प्रारम्भिक तिथि	ई-निविदा डाउनलोड /अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय	ई-निविदा खोलने की तिथि व समय	कार्य अवधि	कार्य की श्रेणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	प्राधिकरण कार्यालय परिसर में समय-समय पर यथा आवश्यक मांग के अनुरूप विभिन्न श्रेणी के कार्य वर्तमान SOR-2022 व बाजार में प्रचलित विश्वस्त/अनुभव एजेन्सियों की ISI मार्का/ब्रान्डेड सामग्री की न्यूनतम दरों पर अनुरक्षण कार्यों के लिए एक वर्ष हेतु न्यूनतम दरों पर कार्य करने वाली एजेन्सी के चयन हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन ई-निविदा आमन्त्रित की जाती है।	-	B.O.Q अनुसार	1000/-	28-11-23 4.00 PM	11-12-23 12.00 PM	11-12-23 02.00PM	01 वर्ष हेतु	प्राधिकरण में पंजीकृत होने की बध्यता नहीं है। (अनुभव एजेन्सिया)

1. निविदा शुल्क केवल RTGS/NEFT के माध्यम से निविदा प्रपत्र में उल्लेखित बैंक खाते में जमा करायी जायेगी।
2. यथा आवश्यक कार्य हेतु बी.ओ.क्यू स्वीकृत होने पर कार्यादेश निर्गत किये जाने से पूर्व 10 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करनी होगी।
3. निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मेडा में निहित है।
4. पंजीकृत/अपंजीकृत एजेन्सी की बध्यता नहीं होगी।
5. अनुरक्षण कार्यों हेतु उपयोग में लायी गयी समस्त सामग्री ISI मार्का/ब्रान्डेड होगी जांचोपरान्त घटिया सामग्री पाये जाने पर निविदा निरस्त करते हुए धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. कार्यादेश में अंकित निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत ही कार्य आवश्यक रूप से पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
7. श्रमिकों की सुरक्षा का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।
8. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिक पंजीयन, अधिष्ठान पंजीयन एवं लाभार्थी श्रमिकों द्वारा योजना का हितलाभ प्राप्त किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन/पंजीयन की व्यवस्था की गयी है। अतः कार्य आवंटित होने की दशा में कार्यादेश निर्गत होने और निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के मध्य सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा आवंटित कार्य के सापेक्ष भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाना होगा।
9. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

पत्रांक: 572 / मु0अभि0-कार्या0 / 2023-24

प्रतिलिपि:

- 1- सचिव महोदय को सूचनार्थ।
- 2- वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ।
- 3- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/प्रभारी विद्युत को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह सम्बन्धित कार्यों के निविदा प्रपत्र/बी.ओ.क्यू कम्प्यूटर अनुभाग को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

दिनांक

23/11/23
मुख्य अभियन्ता,
25-11-2023

- 4- श्री शरद श्रीवास्तव, सहायक प्रोग्रामर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निविदा आमन्त्रण सूचना तत्काल प्राधिकरण की वेबसाईट पर एवं निर्धारित अवधि में निविदा प्रपत्र एन0आई0सी0 ई-टैण्डर पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 5- अवर अभियन्ता-रखरखाव को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य अभियन्ता,